भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2280
12 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वैश्विक केंद्र के रूप में आयुष

2280. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का होम्योपैथी क्षेत्र, उच्च गुणवत्तायुक्त और विज्ञान-समर्थित प्राकृतिक औषधियों का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में तीव्र गति से विकसित हो रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) कार्यान्वित कर रही है ताकि देश में आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के विनियमन, गुणवत्ता एवं विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके;
(घ) यदि हां, तो इस योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;
(ङ) क्या सरकार ने होम्योपैथी क्षेत्र में लाइसेंसिंग को सरल बनाने एवं विनियामक दक्षता में सुधार हेतु डिजिटल पहलें आरंभ की हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख) भारत का होम्योपैथी क्षेत्र तेजी से उच्च गुणवत्ता और विज्ञान समर्थित प्राकृतिक दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। विवरण इस प्रकार हैं: -

• आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) नामक अनुसंधान परिषद होम्योपैथी उपचारों की सुरक्षा और प्रभावकारिता पर वैज्ञानिक साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए अनुसंधान नीति के अनुसार अंत:वर्ती और सहयोगी तरीकों के माध्यम से साक्ष्य आधारित अनुसंधान में सक्रिय रूप से संलग्न है।

• वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इज़राइल, आर्मेनिया, मैक्सिको और ब्राजील के प्रमुख चिकित्सा केंद्रों, विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक संगठनों के साथ 12 संस्थान-स्तरीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता ज्ञापन संयुक्त अनुसंधान, सूचना के आदान-प्रदान, अकादमिक सहयोग और सेमिनार/कार्यशालाओं के आयोजन पर केंद्रित हैं। इसके साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए होम्योपैथी सहित पारंपरिक चिकित्सा पर 25 अलग-अलग देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

• आयुष मंत्रालय के तहत अधीनस्थ कार्यालय भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच), संबंधित एएसयूएंडएच भेषजसंहिता के माध्यम से इसमें शामिल औषधियों की पहचान, शुद्धता और शक्ति सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) पद्धति के विकास और प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीसीआईएम एंड एच दवाओं

की इन पद्धतियों के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण सह अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है। अब तक, पीसीआईएमएंडएच ने भारत के होम्योपैथिक फार्माकोपिया के XI खंड प्रकाशित किए जो होम्योपैथिक दवाओं के 1185 (संशोधित सहित) फार्माकोपियल मोनोग्राफ को कवर करते हैं।

• आयुष मंत्रालय ने आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (आईसी योजना) भी कार्यान्वित की है। इस योजना के तहत, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयुष औषधि विनिर्माताओं तथा सेवा प्रदाताओं को सहायता दी जाती है; आयुष पद्धतियों के वैश्विक स्तर पर प्रचार तथा बाजार विकास हेतु मदद दी जाती है; विदेशों में आयुष पीठों के माध्यम से शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है; और होम्योपैथी सहित आयुष के संबंध में जागरूकता एवं स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

(ग) और (घ): आयुष मंत्रालय**,** 2021-22 से औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के नाम से एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका पांच वर्षों के लिए कुल बजट परिव्यय 122.00 करोड़ रुपये है। एओजीयूएसवाई के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: -

I. आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और पारंपरिक औषधियों तथा स्वास्थ्य संवर्धन उत्पादों का निर्यात बढ़ाना।
II. आयुष औषधियों और सामग्रियों के मानकीकरण, गुणवत्तायुक्त विनिर्माण तथा विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में पर्याप्त ढांचागत और तकनीकी उन्नयन तथा संस्थागत गतिविधियों के लिए मदद देना।
III. आयुष औषधियों के भ्रामक विज्ञापनों के प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा निगरानी और देखरेख के लिए केंद्र तथा राज्य स्तर पर नियामक ढांचे को सुदृढ़ करना।
IV. आयुष औषधियों और सामग्रियों के मानकों तथा उनकी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए तालमेल, सहयोग और समन्वय संबंधी दृष्टिकोण के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

(ङ) और (च): आयुष मंत्रालय ने विनिर्माताओं को उनके संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार, आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के विनिर्माण हेतु लाइसेंस प्रदान करने और/या नवीनीकृत करने के लिए 2019 में एक आईटी सक्षम ऑनलाइन पोर्टल "ई-औषधि" शुरू किया है।

*****